



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45824/2024

दीपा @ नेहा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता : अरुण कुमार तिवारी, कौशलेंद्र सिंह, राघवेंद्र कुमार पाल, रश्मि सिंह

प्रतिवादी अधिवक्ता : अग्नि पाल सिंह, जी.ए., प्रतिमा सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

- लिस्ट में बदलाव किया गया है। सूचना देने वाले के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।
- अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार पांडे, आवेदक के अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र सिंह का पक्ष रखते हुए, राज्य के लिए ए.जी.ए. श्री राम मोहित यादव को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
- आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 208 वर्ष 2024, धारा 103(1) बी.एन.एस., 2023 के अंतर्गत, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक एक महिला है और 05.07.2024 से जेल में बंद है, इसलिए, जेल में रहने का समय डेढ़ साल से ज्यादा है। उसे सिर्फ शक के आधार पर आरोपी बनाया गया है। कोई भी सबूत नहीं है। सबसे ज्यादा संभावित गवाह आवेदक के दो बच्चे होते, जिन्हें रोक लिया गया है और जांच अधिकारी ने उनसे पूछताछ भी नहीं की है, इसलिए यह साफ तौर पर झूठे मामले में फंसाने का मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि मुकदमा बहुत धीमी गति से चल रहा है क्योंकि अब तक केवल तीन गवाहों से पूछताछ की गई है, लेकिन उनमें से कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। इस मामले में आवेदक के दोषी ठहराए जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों पर सवाल नहीं उठा सके।
7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। 03.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, तीन गवाहों से पूछताछ की गई है।
8. सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2023 एससी 2149 के मामले में अपील करने वाले को इस आधार पर जमानत दे दी है कि अपील करने वाला लगभग दो साल चार महीने से हिरासत में है और सरकारी अधिवक्ता के छब्बीस गवाहों में से सिर्फ दो गवाहों की ही जांच हुई है।
9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है और डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।
10. आवेदक- दीपा @ नेहा, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।
 - (i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।
 - (iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।
11. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।